

29 ⁰⁷/₂₁

आज यह पत्रावली पेश हुई। मूल काफ़ावा
अहम राजी अहम पेंखी में खारिज हो
चुग है। अतः प्रार्थना पत्र 212 डो अगै चलोने
का कोई औचित्य नहीं। अतः प्रार्थना पत्र 212
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र
मूल काफ़ावा साब संलग्न है। पत्र विली
फ़सल शुमार होकर नम्बर से वुम होकर
निश्चित कफ़तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज०